न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 774 सन्– 2026

UPAD010068572026

गीता देवी उम्र 36 वर्ष पत्नी विनोद कुमार सरोज, निवासिनी– ग्राम हरभानपुर, पोस्ट बहादुरगढ़, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज।

––––––––प्रार्थिनी

बनाम

1. अजीत यादव उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र नंदलाल यादव
2. केसरी यादव उम्र 45 वर्ष पुत्र नंदलाल यादव
3. रीता यादव उम्र 37 वर्ष पत्नी अजीत यादव

निवासीगण– ग्राम हरभानपुर, पोस्ट बहादुरगढ़, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज।

––––––––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना– फूलपुर, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थिनी गीता देवी द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति पासी की सदस्या है, अपने माता–पिता की इकलौती सन्तान है इसलिए वह मायके में निवासा पायी है और अपनी वृद्ध माँ के साथ रहती है। वह अपने घर व परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी आबादी की भूमि पर ईंट की दीवार बना रही थी परन्तु विपक्षीगण दिनांक 11.06.2026 समय सुबह 10.00 बजे उसकी नींव को खोदने और दीवार बनाने से रोक रहे थे, विरोध करने पर माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये और उसको घर में खींचकर ले गये, मिलकर मारा जिससे उसको गंभीर चोटें पहुंचाई, विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उसकी लज्जा भंग करने के लिए उसकी साड़ी और ब्लाउज को फाड़ दिया तथा धमकी दिया कि मादरचोद पासिन साली बड़ी नेताइन बनती हो तुमको जो करना हो कर लो तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर देंगे कि तुम यहां से भाग जाओगी और मार कर उसकी जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। विपक्षीगण इसके पूर्व भी दिनांक 25.04.2026 को इसी तरह की वारदात उसके साथ किये थे उसने डर के मारे कोई शिकायत नहीं किया था जिससे विपक्षीगण का मनोबल बढ़ता चला गया। विपक्षीगण ने सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर उसको माँ–बहन की गाली और जातिसूचक शब्दों को उच्चारित करते हुए जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना फूलपुर में प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थिनी ने दिनांक 17.06.2026 को जरिये पंजीकृत डाक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, थानाप्रभारी फूलपुर को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 25.04.2026 की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.06.2026 मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति पासी की सदस्या होना बताते हुए विपक्षीगण द्वारा दिनांक 11.06.2026 को समय प्रातः 10.00 बजे उसको अपनी भूमि पर ईंट की दीवार बनाने से रोकने व विरोध करने पर उसे माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, मारने–पीटने, विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा उसकी लज्जा भंग किये जाने के आशय से उसकी साड़ी व ब्लाउज को फाड़ने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में प्रार्थिनी को यह अवसर उपलब्ध है कि वह प्रार्थनापत्र में अभिकथित कथनों को परिवाद की प्रक्रिया द्वारा साबित कर सकती है, अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 16.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थिनी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 14, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.14 16:43:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court